



ISSN Print: 2394-7500
 ISSN Online: 2394-5869
 Impact Factor (RJIF): 8.4
 IJAR 2024; 10(12): 70-71
www.allresearchjournal.com
 Received: 28-08-2024
 Accepted: 27-09-2024

डॉ. सरिता कुमारी

सहायक, प्राध्यापक, समाजशास्त्र,
 नागार्जुन, उमेष संस्कृत
 महाविद्यालय, बिहार, भारत

भारतीय राजनीति और स्त्री सहयोग

डॉ. सरिता कुमारी

प्रस्तावना

भारतीय राष्ट्रीय जागरण की पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते हुए राजनीति में स्त्रियों के सहयोग के विषय में प्रसिद्ध सामाज-शास्त्री ए0आर0 देसाई ने लिखा है—“ राजनीति में स्त्रियों का तीव्र प्रवेश, विशेष रूप से भारतीय इतिहास की अत्यंत आश्चर्यजनक घटना है। ब्रिटिश पूर्व भारत में सुलताना रजिया बेगम, चाँदबीबी, नूरजहाँ, अहिल्याबाई होल्कर, झाँसी की रानी जैसी कुछ अभिजात वर्गीय स्त्रियों के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों ने राजनीति में भाग नहीं लिया था। सीमित ही सही, उसका उन्होंने जोष-खरोष के साथ इस्तेमाल किया”—¹

सन् 1920 में अमेरिका की स्त्रियों की वोट देने का अधिकार मिल जाने के बाद धीरे-धीरे अधिकांश, पाश्चात्य देशों (ब्रिटेन, हंगरी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी) को स्त्रियों को भी वोट देने का अधिकार मिल गया था। इसका प्रभाव भारतीय राजनीति पर भी पड़ा। ए0आर0 देसाई के कथानुसार सन् 1920 में भारतीय स्त्रियों ने राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना आरंभ कर दिया था। इसके फलस्वरूप भारतीय स्त्रियों को राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए था नहीं, यह एक विचारणीय मुद्दा बन गया था। उस समय के विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में इन विषयों पर विभिन्न लोगों के मत प्रकाशित हो रहे थे, जिन्हें लिखने वालों में भारतीय, विदेशी, स्त्री-पुरुष सभी शामिल थे। इस दौरान की प्रमुख पत्रिका “प्रभा” में राजनीति और स्त्रियाँ, भारतीय महिलाएँ और वोट देने का अधिकार, युवक युवती संघ, स्त्रियों के राजनैतिक अधिकार जैसे कुछ महत्वपूर्ण लेखों का उल्लेख का उल्लेख विशेष रूप से किया जा सकता है। ऐसा नहीं था कि समाज के सभी वर्ग के लोग राजनीति में महिलाओं के प्रवेश को लेकर आश्वस्त थे। विरोध के स्वर लगातार उग्र बने हुए थे, जिसके कारण बड़े-बड़े समाज सुधारक और महिला नवजागरण के नेतृत्व करने वाले अधिकांश उदारवादी नेता भी असमंजस में थे, क्योंकि वे उन्हीं प्रथाओं, परंपराओं वाले समाज से ही आए थे और समाज का दबाव उनपर लगातार बना हुआ था। वे केवल स्त्री अधिकारों की वकालत कर भारत की स्वतंत्रता, अस्पृश्यता, शिक्षा जैसे बड़े सुधारों की पिछड़ने नहीं दे सकते थे।

भारतीय महिलाओं के वोट का अधिकार देने के विरोध में श्री जे0के0 मेहता, श्रीमती सरोजनी नायडू के नेतृत्व में भारतीय महिलाओं के डेपुटेशन को भारतीय स्त्रियों का संपूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं मानते हैं। उनका मानना था कि युद्ध के कारण पश्चिमी देश स्त्रियों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में पहले की अपेक्षा अधिक सहमत हो गए हैं, लेकिन हमें उनका अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। मांटैग्यू चेम्सफोर्ड शासन सुधार में यद्यपि स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया था, लेकिन सरोजनी नायडू के नेतृत्व में गए भारतीय महिलाओं के डेपुटेशन के प्रयत्न से यह व्यवस्था हो गई थी कि जिन प्रांतों की कौंसिलें यह निर्णय करें कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, उन प्रांतों की स्त्रियों को वोट देने का अधिकार दिया जा सकता है। इसी बात को लेकर लेखिका श्रीमती चमेली देवी जसौरिया हैं। स्त्रियों को राजनैतिक अधिकार देने के विरोध में लिखे गए अन्य लेखिकाओं के तर्कों का जवाब देते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ध्यान आकृष्ट करते हुए लिखा—“मैं यहाँ देश का भविष्य पार्लियामेंट, भारतीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ध्यान इस ओर दिला देना चाहती हूँ कि वे एक प्रस्तुत द्वारा इस की घोषणा कर दें कि स्वतंत्र भारत में पुरुषों के समान स्त्रियों को भी अधिकार प्राप्त होंगे।”—² लेखिका ने पाश्चात्य देशों का उदाहरण देते हुए लिखा था कि युद्ध के दौरान स्त्रियों ने वे सब मोरचे सँभाले, जिन्हें पुरुष ही सँभालते थे, उन्होंने गोला-बारूद कारखानों, पोस्ट ऑफिसों, शिक्षा संस्थाओं आदि में काम करके प्रमाणित कर दिया कि साहस, बुद्धि, योग्यता और स्वदेश प्रेम में स्त्रियाँ पुरुषों से कहीं भी कम नहीं हैं। साथ ही श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती कस्तूरबा गाँधी, अली भाइयों की माता तथा पार्वती देवी, मादाम भीकाजी कामा आदि भारतीय स्त्रियों द्वारा किए गए काम किसी मायने में पुरुषों से कम नहीं हैं।

Corresponding Author:

डॉ. सरिता कुमारी

सहायक, प्राध्यापक, समाजशास्त्र,
 नागार्जुन, उमेष संस्कृत
 महाविद्यालय, बिहार, भारत

लेखिका ने समाज को प्रश्न के घेरे में लेते हुए लिखा था—“क्या पुरुषगण स्त्रियों के उचित सहयोग के बिना राष्ट्र स्वतंत्र कराने की आशा करते हैं?”—³

लेखिका का मानना है कि समाज की जितनी इच्छा स्त्रियों की रहती है उतनी पुरुषों की नहीं। भारतवर्ष में असावधानी और साधनों की कमी से जितने बालकों की मृत्यु होती है उतने किसी देश में नहीं। भारतवर्ष में लूला, लँगड़ा, पागल, नपुंसक कोई भी मनुष्य विवाह करके एक निर्बोध बालिका का जीवन नष्ट कर सकता है। मानसिक, पारिरिक अथवा आर्थिक कोई भी अयोग्यता उसके विवाह संबंध में बाधक नहीं। इन बातों में स्त्रियाँ कौंसिलों में पहुँचकर अथवा अपने अनुकूल सदस्य भेजकर सुधार करा सकती है।

स्त्रियों से संबंधित अन्य प्रकार के लेख भी उस समय लगातार प्रकाशित हो रहे थे। स्त्रियों की उन्नति की सूचना समाज में उसकी नई भूमिका संसार में स्त्री का स्थान, 'स्त्रियों और पुरुषों की मस्तिष्क शक्ति' क्या बराबर है। 'संसार समस्याओं में स्त्रियों का भाग', 'जर्मन में स्त्रियों की उन्नति', 'संसार भर में स्त्रियों की उन्नति', आदि लेख स्त्रियों की जागरूकता और समाज में उनकी बढ़ती सहभागिता के परिचायक हैं।

राजनीति के क्षेत्र में आज भी महिलाओं का योगदान धीरे-धीरे अपनी गति पकड़ रहा है। महिलाएँ अपने अधिकारों का प्रयोग कर राजनीति में अपनी भागीदारी को मजबूत कर रही हैं।

संदर्भ सूची:

1. प्रभा और राष्ट्रीय जागरण, सुजाता राय, पृ0-111
2. महिला पत्रकारिता, सुधा पुक्ला, पृ0-26
3. वहीं पृष्ठ सं0-27